भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3398
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइन संचालन में अस्थिरता को रोकने संबंधी ढांचा

3398. श्री इमरान मसूदः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमान प्रचालनों में अस्थिरता और बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने को रोकने के लिए कोई विनियामक समीक्षा की है अथवा एक नया प्रचालनात्मक ढांचा कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षा/ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) और चालक दल की योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली विमान कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): उद्योग की मांगों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुरूप बने रहने के लिए वाणिज्यिक नागर विमानन पर लागू नियमों और विनियमों में संशोधन करना सतत प्रक्रिया है।

इसके अलावा, डीजीसीए ने 11.12.2025 को विनिर्दिष्ट परिचालन विनियमों की अग्रिम तैयारी और समय पर अनुपालन संबंधी सामान्य सुरक्षा परिपत्र 02/2025 जारी किया है। इस परिपत्र के अनुसार स्टेकहोल्डरों को पहले से विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करनी होगी, अपेक्षित संसाधनो की समय पर उपलब्धता और उनकी व्यवहारिकता सुनिश्चित करनी होगी। आवश्यक परीक्षण या ड्राई रन करने होंगे और कार्यान्वयन से पहले परीक्षण के परिणामों के साथ तैयारी संबंधी योजना डीजीसीए को प्रस्तुत करनी होगी। स्टेकहोल्डरों को कम- से- कम 6 महीनों तक कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की निगरानी भी करनी होगी और मुख्य अवलोकनों और अपनाए गए मॉनिटरिंग ढांचे का विशेष उल्लेख करते हुए डीजीसीए को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(ग): डीजीसीए ने सीएआर खंड 7, सीरीज जे, भाग III, अंक III, संशोधन 2 के अधीन उड़ान दल के लिए श्रम प्रबंधन विनियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है, साथ ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यथानिदेशित पहला चरण 01 जुलाई 2025 से और दूसरा चरण 01 नवम्बर 2025 से प्रभावी है।

(घ): किसी भी प्रकार के अननुपालन की स्थिति में प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियम पुस्तक (ईपीपीएम) के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति विमान नियमावली 1937 की अनुसूची VIक और VIख में विनिर्दिष्ट किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर शास्ति लगाई जा सकेगी।

****